



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102026-277323
CG-DL-E-21102026-277323

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948

No. 834]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 905(अ).— दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित दूरसंचार (विनियामक सैंडबॉक्स) नियम, 2024 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 736(अ), तारीख 27 नवंबर, 2024 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिवस की अवधि की समाप्ति होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे:

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28 नवंबर, 2024 को जनसाधारण के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं:

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (म) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (विनियामक सैंडबॉक्स) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
- (ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है एक प्राधिकृत इकाई या कंपनी, सोसायटी या साझेदारी फर्म या कोई वैधानिक निकाय, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन सम्यक रूप से निगमित, रजिस्ट्रीकृत या गठित है, या एक भारतीय नागरिक, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक अनुसंधान और विकास संस्थान, जिसने नियम 4 के अधीन एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;
- (ग) "अनुमोदित आवेदक" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा विनियामक सैंडबॉक्स के सृजन, संचालन और प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित आवेदक;
- (घ) "प्रतिभागी" से अभिप्रेत है एक विनियामक सैंडबॉक्स में एक प्रतिभागी जो नियम 5 के अनुसरण में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है;
- (ङ) "पोर्टल" से अभिप्रेत है नियम 12 में निर्दिष्ट पोर्टल;
- (च) "परीक्षण उपयोगकर्ताओं" से अभिप्रेत है उन उपयोगकर्ताओं का सीमित समूह जो स्वेच्छा से विनियामक सैंडबॉक्स में भाग लेते हैं;
- (छ) "वैधता अवधि" से अभिप्रेत है नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट विनियामक सैंडबॉक्स की अवधि।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या उक्त नियमों में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।

3. लागू होना—इन नियमों में दूरसंचार में नवाचार और प्रौद्योगिकीय विकास को सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक विनियामक सैंडबॉक्स के सृजन और उन पर लागू निबंधन और शर्तों का उपबंध है।

4. विनियामक सैंडबॉक्स का सृजन—(1) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा पोर्टल पर एक विनियामक सैंडबॉक्स सृजित और विनिर्दिष्ट कर सकती है—

- (क) इसकी आवश्यकता का आकलन करने के बाद स्वप्रेरणा से; या
- (ख) उप-नियम (2) के अधीन एक आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के उप-नियम (4) के अधीन स्वीकृति पर अपनी पहल पर या केन्द्रीय सरकार से प्रस्तावों के लिए अनुरोध के प्रतिउत्तर में।

(2) आवेदक उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन एक विनियामक सैंडबॉक्स के लिए एक प्रस्ताव ऐसे प्ररूप और रीति से और ऐसे दस्तावेजों सहित, जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट हैं, निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत कर सकता है—

- (क) आवेदन की विषय वस्तु के संबंध में ऑफ़लाइन या प्रयोगशाला वातावरण में आवेदक द्वारा किए गए सीमित परीक्षण की रिपोर्ट की प्रतियां;
- (ख) प्रायोगिक पृथक नेटवर्क सहित किसी भी अन्य परीक्षण की रिपोर्ट की प्रतियां;
- (ग) कोई अन्य जानकारी या दस्तावेज जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं;

- (घ) प्राधिकार या समनुदेशन की अपेक्षाओं या अधिनियम के अधीन अन्य उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन दी गई छूट, जैसा कि इस तरह के सैंडबॉक्स के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो; और
- (ङ) दस हजार रुपये की गैर-प्रतिदेय प्रोसेसिंग फीस।

(3) उप-नियम (2) के अधीन एक प्रस्ताव प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्रस्ताव की पात्रता के संबंध में ऐसी जांच कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे, और इस प्रयोजन के लिए, आवेदक से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है जो वह मांग सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (2) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव की पात्रता की जांच के अनुसरण में, ऐसे प्रस्ताव को या तो स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

5. विनियामक सैंडबॉक्स के निबंधन और शर्तें—(1) नियम 4 के अधीन सृजित किसी विनियामक सैंडबॉक्स के लिए, केन्द्रीय सरकार पोर्टल पर निम्नलिखित में से एक या अधिक निबंधन और शर्तें निर्दिष्ट कर सकती है, अर्थात्:—

- (क) विनियामक सैंडबॉक्स का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य;
- (ख) विनियामक सैंडबॉक्स के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक या एक से अधिक अनुमोदित आवेदकों का नाम और विवरण और ऐसे अनुमोदित आवेदकों के दायित्व;
- (ग) ऐसे विनियामक सैंडबॉक्स में प्रतिभागियों के लिए पात्रता मानदंड और ऐसे प्रतिभागियों के दायित्व;
- (घ) दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क या उपकरण या प्रक्रियाओं या प्रौद्योगिकियों या उत्पादों या व्यवसाय मॉडल का विवरण जिनका परीक्षण ऐसे विनियामक सैंडबॉक्स में किया जा सकता है;
- (ङ) विनियामक सैंडबॉक्स की वैधता अवधि के लिए अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन प्राधिकार या समनुदेशन या किसी अन्य उपबंध की अपेक्षाओं से दी गई छूट:

परंतु यह कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के किसी भी उपबंध की प्रयोज्यता से कोई छूट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पूर्व परामर्श के बाद विनिर्दिष्ट की जाएगी;

- (च) किसी भी संभावित जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन;
- (छ) रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ, जिनमें परीक्षण की पद्धति से संबंधित अपेक्षाएँ और विनियामक सैंडबॉक्स के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम सम्मिलित हैं;
- (ज) विनियामक सैंडबॉक्स की वैधता अवधि;
- (झ) विनियामक सैंडबॉक्स से बाहर निकलने के लिए निकास कार्यनीति का विवरण; और
- (ञ) केन्द्रीय सरकार की राय में, ऐसे विनियामक सैंडबॉक्स में भागीदारी से सुसंगत और जुड़े या उससे संबंधित किसी अन्य मामले का विवरण।

(2) एक विनियामक सैंडबॉक्स की वैधता अवधि चौबीस मास से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, तो वैधता अवधि को एक बार में बारह मास की और अवधि तक बढ़ा सकती है, एक अनुमोदित आवेदक से ऐसे प्ररूप और रीति से विस्तार के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, जैसा कि पोर्टल

पर विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसी वैधता अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिवस पूर्व, इस तरह के विस्तार के औचित्य और उद्देश्य के साथ, या नियम 8 के अधीन उसकी निरंतरता प्राप्त होने पर।

6. अनुमोदित आवेदक के दायित्व—(1) प्रत्येक अनुमोदित आवेदक सुसंगत विनियामक सैंडबॉक्स में स्वयं या अन्य प्रतिभागियों के माध्यम से परीक्षण करने के लिए नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट विनियामक सैंडबॉक्स के निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा।

(2) उप-नियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक अनुमोदित आवेदक—

(क) इसके लिए तंत्र स्थापित करेगा—

- (i) पात्रता मानदंडों के आधार पर प्रतिभागियों की ऑनबोर्डिंग;
- (ii) प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा विनियामक सैंडबॉक्स के निबंधनों और शर्तों का पालन;
- (iii) प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा परीक्षण मापदंडों, नियंत्रण सीमाओं, परीक्षण स्थलों और परीक्षण परिणामों के अभिलेख के अनुरक्षण की रीति को विनिर्दिष्ट करना; और
- (iv) उप-खंड (iii) में संदर्भित विशिष्टियों के भीतर प्रतिभागियों द्वारा किए गए परीक्षण की निगरानी और मूल्यांकन;

(ख) ऐसे विनियामक सैंडबॉक्स के भीतर परीक्षण के लिए परीक्षण उपयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड करते समय, स्वयं और प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा डेटा संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित विधियों और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य लागू विधि का पालन सुनिश्चित करेगा;

(ग) केन्द्रीय सरकार को विनियामक सैंडबॉक्स में प्रतिभागियों की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ ऐसे सैंडबॉक्स से उनके बाहर निकलने की जानकारी प्रदान करेगा;

(घ) (i) ऐसे परीक्षण उपयोगकर्ताओं को किए जा रहे परीक्षण के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के बारे में सूचित करेगा;

(ii) विनियामक सैंडबॉक्स के परीक्षण वातावरण का हिस्सा बनने के लिए परीक्षण उपयोगकर्ताओं की पूर्व सहमति प्राप्त करेगा; और

(iii) सुनिश्चित करेगा कि परीक्षण उपयोगकर्ताओं से परीक्षण वातावरण में उनकी भागीदारी के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है,

जहां विनियामक सैंडबॉक्स में दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क, उपकरणों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों या व्यापार मॉडल के परीक्षण के लिए परीक्षण उपयोगकर्ताओं का नामांकन सम्मिलित है;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि विनियामक सैंडबॉक्स में परीक्षण की जा रही दूरसंचार सेवाएं या प्रौद्योगिकियां या उत्पाद, प्रक्रियाएं या व्यावसायिक मॉडल परीक्षण अवधि के दौरान बाजार में वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं;

(च) विनियामक सैंडबॉक्स की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात् कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाने वाली ऐसी लंबी अवधि या अवधियों के लिए कार्य योजनाओं, कार्यप्रणाली, परीक्षण उपयोगकर्ताओं के सहमति अभिलेख और अन्य सुसंगत डेटा सहित परीक्षण से संबंधित अभिलेख का भंडारण सुनिश्चित करेगा;

- (छ) खंड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट डेटा और अभिलेख को सुरक्षित रीति से नष्ट करना सुनिश्चित करेगा;
- (ज) केन्द्रीय सरकार को स्वयं या किसी भी प्रतिभागी द्वारा विनियामक सैंडबॉक्स में किसी भी परीक्षण से उत्पन्न होने वाले किसी भी कार्य या लोप, उल्लंघन या किसी भी प्रकार की गलती या जवाबदेही से क्षतिपूर्ति रखेगा; और
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि इसके और प्रतिभागियों द्वारा विनियामक सैंडबॉक्स के संबंध में गोपनीयता बनाए रखी जाती है, जिसमें परीक्षण और उसके परिणाम सम्मिलित हैं:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार पोर्टल पर ऐसे आवेदकों या प्रतिभागियों की किसी भी सांपत्तिक जानकारी का खुलासा किए बिना, अनुमोदित आवेदकों और प्रतिभागियों सहित विनियामक सैंडबॉक्स के बारे में कोई भी सुसंगत और सामान्य जानकारी प्रकाशित कर सकती है।

7. निगरानी और मूल्यांकन—(1) केन्द्रीय सरकार नियम 4 के अधीन सृजित विनियामक सैंडबॉक्स के निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन कर सकती है।

(2) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) अनुमोदित आवेदक से ऐसी रिपोर्ट, सूचना, डेटा या अभिलेख मांग सकती है जैसा वह उचित समझे और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समय की अवधि के भीतर, अनुमोदित आवेदक को इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी;
- (ख) उस प्ररूप, आवृत्ति और रीति को निर्दिष्ट कर सकेगी जिसमें खंड (क) के अधीन मांगी गई जानकारी या रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी; और
- (ग) अनुमोदित आवेदक को विनियामक सैंडबॉक्स के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और प्रतिभागियों तथा परीक्षण उपयोगकर्ताओं के संरक्षण के लिए यथाअपेक्षित ऐसे निदेश जारी कर सकेगी।

(3) अनुमोदित आवेदक केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक विनियामक सैंडबॉक्स तक भौतिक या वर्चुअल पहुंच सुनिश्चित करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर उसके निदेशों का पालन करेगा।

(4) परीक्षण पूरा होने के पंद्रह दिवस के भीतर, या विनियामक सैंडबॉक्स की वैधता अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिवस पहले, प्रत्येक अनुमोदित आवेदक केन्द्रीय सरकार को पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें सम्मिलित होंगे—

- (क) परीक्षण के परिणाम और निष्कर्ष;
- (ख) परीक्षण उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया, जिसमें शिकायतें, चिंताएं, सुरक्षा मुद्दे सम्मिलित हैं;
- (ग) परीक्षण अवधि के दौरान आने वाली चुनौतियां;
- (घ) सुरक्षा और अन्य मुद्दों को दूर करने के लिए किए गए उपाय, उपभोक्ता संरक्षण और जोखिम कम करने के उपाय लागू किए गए;
- (ङ) प्रतिभागियों और परीक्षण उपयोगकर्ताओं सहित सभी हितधारकों से संबंधित सभी संविदात्मक और वित्तीय दायित्वों के निपटान के साथ-साथ विनियामक सैंडबॉक्स के अधीन सभी कार्यकलापों को बंद करने का विवरण; और
- (च) कोई अन्य डेटा या जानकारी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) इस नियम के अधीन निगरानी और मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, जहां आवश्यक समझे, एक या एक से अधिक बाहरी विशेषज्ञों का परामर्श या सहायता ले सकती है।

8. निरंतरता, संशोधन, पूर्णता और वाणिज्यीकरण—(1) केन्द्रीय सरकार नियम 7 के अधीन प्रस्तुत सूचना और रिपोर्टों के आधार पर—

- (क) ऐसी आगे की अवधि के लिए और ऐसे संशोधित या अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों पर विनियामक सैंडबॉक्स को जारी रखने की अनुमति दे सकती है जो पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट किया जाए; या
- (ख) विनियामक सैंडबॉक्स को पूरा करने और बंद करने का निदेश दे सकती है; या
- (ग) सैंडबॉक्स के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उत्पाद, सेवा या व्यवसाय मॉडल की वाणिज्यिक तैनाती को सक्षम करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कदमों की अनुमति दी जा सकती है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कोई निर्णय लेने से पहले, केन्द्रीय सरकार अनुमोदित आवेदक से ऐसी और भी जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकती है जो वह आवश्यक समझे।

9. विनियामक सैंडबॉक्स के संचालन और प्रबंधन के लिए अनुमोदन का निलंबन या प्रतिसंहरण—केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा और उसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए, निम्नलिखित परिस्थितियों में विनियामक सैंडबॉक्स के संचालन और प्रबंधन के लिए अनुमोदित आवेदक को प्रदत्त अनुमोदन को निलंबित या प्रतिसंहृत कर सकती है, अर्थात्:—

- (क) उन स्थितियों का निदान करने के लिए जहां इस तरह के सैंडबॉक्स एक प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के संचालन को बाधित कर रहे हैं;
- (ख) जहां एक अनुमोदित आवेदक ने—
 - (i) केन्द्रीय सरकार को गलत या मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है; या
 - (ii) उन निबंधनों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा है जिनके आधार पर परीक्षण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था; या
 - (iii) सुसंगत विनियामक सैंडबॉक्स में प्रतिभागियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा है:

परंतु यह कि इस खंड के अधीन निलंबन या प्रतिसंहरण के लिए कोई निर्णय अनुमोदित आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं लिया जाएगा; या
- (ग) जहां, केन्द्रीय सरकार की राय में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या सार्वजनिक हित में इस तरह का निलंबन या प्रतिसंहरण आवश्यक है; या
- (घ) जहां एक अनुमोदित आवेदक अधिनियम के अध्याय VIII के उपबंधों के अधीन न्यायनिर्णयन कार्यवाही के अधीन है जिसको न्यायनिर्णयन कार्यवाही के अनुसरण में किसी भी नियम का उल्लंघन या भंग माना गया है।

10. फीस की कोई वापसी नहीं—इन नियमों के अधीन एक विनियामक सैंडबॉक्स को संचालित करने और प्रबंधन करने के लिए अनुमोदन के संबंध में संदत्त की गई फीस या प्रभार की कोई वापसी नहीं होगी, यदि इस तरह के अनुमोदन को निलंबित, कम किया जाता है, प्रतिसंहृत किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है।

11. आदेश, निदेश या दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे आदेश, निदेश या दिशानिर्देश जारी कर सकती है जो अधिनियम या इन नियमों से असंगत न हों।

12. डिजिटल कार्यान्वयन—केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक या एक से अधिक पोर्टलों को अधिसूचित कर सकती है, जिसमें इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी प्ररूप, रीति, आदेश, निदेश या दिशानिर्देश प्रदान करना सम्मिलित है।

[फा. सं. 24-11/2024-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2026

G.S.R. 905(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2024 was published, as required under sub-section (1) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 736(E), dated the 27th November, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public:

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 28th November, 2024:

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (y) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
- (b) “applicant” means an authorised entity or company, society or partnership firm or a statutory body, duly incorporated, registered or constituted under any law for the time being in force in India, or an Indian national, or a research and development institution recognised by the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India, who has submitted a proposal under rule 4;
- (c) “approved applicant” means an applicant approved by the Central Government or a person authorised by the Central Government in this behalf for the purposes of creation, operation and management of a regulatory sandbox;
- (d) “participant” means a participant in a regulatory sandbox that satisfies the eligibility criteria specified pursuant to rule 5;
- (e) “portal” means portal as referred to in rule 12;
- (f) “test users” mean the limited set of users who voluntarily participate in a regulatory sandbox;
- (g) “validity period” means the duration of the regulatory sandbox specified under sub-rule (2) of rule 5.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.

3. Application.—These rules provide for creation of one or more regulatory sandboxes and the terms and conditions applicable in respect thereof for the purposes of facilitating innovation and technological development in telecommunication.

4. Creation of regulatory sandbox.—(1) The Central Government may, by order, create and specify a regulatory sandbox on the portal,—

- (a) *suo motu*, after assessing the need for the same; or
- (b) upon acceptance under sub-rule (4) of a proposal submitted by an applicant under sub-rule (2) at his own initiative or in response to a request for proposals from the Central Government.

(2) An applicant may submit a proposal for a regulatory sandbox under clause (b) of sub-rule (1) in such form and manner and accompanied by such documents as specified on the portal, along with—

- (a) copies of reports of the limited testing undertaken by the applicant in offline or laboratory environment in respect of the subject matter of the application;
- (b) copies of reports of any other testing, including in experimental isolated networks;
- (c) any other information or documents as may be specified by the Central Government;
- (d) any exemptions from the requirements of authorisation or assignment or any other provision under the Act or rules made thereunder, or under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), as may be required for the purposes of such sandbox; and
- (e) non-refundable processing fees of ten thousand rupees.

(3) On receipt of a proposal under sub-rule (2), the Central Government may make such inquiry as it deems fit, regarding the eligibility of such proposal and, for this purpose, require the applicant to furnish such information as it may call for.

(4) The Central Government may, pursuant to the inquiry as to eligibility of the proposal received under sub-rule (2), either accept or reject such proposal.

5. Terms and conditions of regulatory sandbox.—(1) For any regulatory sandbox created under rule 4, the Central Government may specify on the portal one or more of the following terms and conditions, namely:—

- (a) The scope and objective of the regulatory sandbox;
- (b) The name and details of one or more approved applicants responsible for operation and management of the regulatory sandbox and the obligations of such approved applicants;
- (c) The eligibility criteria for participants in such regulatory sandbox and the obligations of such participants;
- (d) The details of telecommunication services or telecommunication network or equipment or processes or technologies or products or business models that may be tested in such regulatory sandbox;
- (e) The exemptions granted from the requirements of authorisation or assignment or any other provisions under the Act or the rules made thereunder, or under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) or the regulations made thereunder for the validity period of the regulatory sandbox:

Provided that any exemption from the applicability of any provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) shall be specified after prior consultation with the Telecom Regulatory Authority of India;

- (f) The risk analysis and management required to ensure mitigation of any potential risks;
- (g) The reporting requirements including those relating to the methodology of testing and steps to be taken to ensure compliance with the terms and conditions of the regulatory sandbox;
- (h) The validity period of the regulatory sandbox;
- (i) The details of the exit strategy for exiting the regulatory sandbox; and
- (j) The details of any other matter that in the opinion of the Central Government is relevant and connected with or related to the participation in such regulatory sandbox.

(2) The validity period of a regulatory sandbox shall not exceed twenty-four months:

Provided that the Central Government may, if it considers necessary, extend the validity period for a further period not exceeding twelve months at a time, upon receipt of a request for extension from an approved applicant in such form and manner as specified on the portal, at least thirty days prior to the expiry of such validity period, accompanied by justification and purposes of such extension, or upon receipt of a continuation thereof under rule 8.

6. Obligations of approved applicant.—(1) Every approved applicant shall comply with the terms and conditions of a regulatory sandbox specified under rule 5 for undertaking testing by itself or through other participants, in the relevant regulatory sandbox.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1), every approved applicant shall—

- (a) establish mechanisms for—
 - (i) onboarding of participants based on eligibility criteria;
 - (ii) adherence by each participant to the terms and conditions of the regulatory sandbox;
 - (iii) specifying the test parameters, control boundaries, testing sites and manner of maintenance of records of the test results by each participant; and
 - (iv) monitoring and evaluating the testing undertaken by participants within the specifications referred to in sub-clause (iii);
- (b) ensure adherence, by itself and by every participant, with laws relating to data protection and security, and any other applicable law for the time being in force, when onboarding test users for testing within such regulatory sandbox;
- (c) provide to the Central Government information of the participants in a regulatory sandbox as well as their exit from such sandbox;
- (d)
 - (i) inform such test users the purpose and scope of testing being undertaken;
 - (ii) obtain prior consent of the test users for being part of the test environment of the regulatory sandbox; and
 - (iii) ensure that test users are not charged for their participation in the test environment,
 where the regulatory sandbox involves enrolment of test users for testing of telecommunication services, telecommunication network, equipment, processes, technologies, products or business models;
- (e) ensure that the telecommunication services or technologies or products, processes or business models being tested in the regulatory sandbox are not commercially available in the market during the testing period;
- (f) ensure storage of records relating to the testing, including work plans, methodologies, consent records of test users and other relevant data for a period not less than one year after expiry of validity period of the regulatory sandbox, and for such longer period or periods as may be determined by the Central Government;
- (g) ensure destruction of data and records specified under clause (f) in a secure manner;
- (h) keep the Central Government indemnified from any acts of omission or commission, breaches or any kind of culpability or liability arising out of or in relation to any testing in the regulatory sandbox by itself or by any participant; and
- (i) ensure that confidentiality is maintained, by it and the participants, with regard to the regulatory sandbox, including testing and results thereof;

Provided that the Central Government may publish any relevant and generic information about the regulatory sandbox, including the approved applicants and participants, without revealing any proprietary information of such applicants or participants on the portal.

7. Monitoring and evaluation.—(1) The Central Government may monitor and evaluate the performance of a regulatory sandbox created under rule 4.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the Central Government may—

- (a) call for such reports, information, data or records from the approved applicant as it deems fit and, for this purpose, require the approved applicant to furnish the same within such period of time as specified by the Central Government;

- (b) specify the format, frequency and manner in which the information or reports called for under clause (a) shall be furnished; and
 - (c) issue such directions to the approved applicant as may be required for ensuring compliance with the terms and conditions of the regulatory sandbox and for protection of participants and test users.
- (3) The approved applicant shall ensure physical or virtual access to the regulatory sandbox as the Central Government may require and shall comply with its directions within such period of time as specified by the Central Government.
- (4) Within fifteen days of completion of testing, or at least thirty days prior to the expiry of the validity period of the regulatory sandbox, each approved applicant shall submit to the Central Government a comprehensive report in such form and manner as specified on the portal, which shall include—
- (a) the results and outcomes of the testing;
 - (b) feedback from the test users, including complaints, concerns, security issues;
 - (c) challenges faced during testing period;
 - (d) measures taken to overcome security and other issues, consumer protection and risk mitigation measures deployed;
 - (e) details of closure of all activities under the regulatory sandbox, along with settlement of all contractual and financial obligations related to all stakeholders, including participants and test users; and
 - (f) any other data or information as may be specified by the Central Government.
- (5) For the purposes of monitoring and evaluation under this rule, the Central Government may, where considered necessary, seek the advice or assistance of one or more external experts.

8. Continuation, modification, completion and commercialisation.—(1) On the basis of the information and reports furnished under rule 7, the Central Government may—

- (a) permit continuation of the regulatory sandbox for such further period and on such modified or additional terms and conditions as specified on the portal; or
- (b) direct completion and closure of the regulatory sandbox; or
- (c) having regard to the results of the sandbox, permit such steps as may be considered necessary for enabling commercial deployment of the product, service or business model in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(2) Before taking any decision under sub-rule (1), the Central Government may seek such further information or clarifications as it considers necessary from the approved applicant.

9. Suspension or revocation of approval to operate and manage regulatory sandbox.—The Central Government may, by order and recording the reasons therefor, suspend or revoke the approval granted to an approved applicant to operate and manage a regulatory sandbox in the following circumstances, namely:—

- (a) To address situations where such sandbox is interfering with the operations of a telecommunication network established by an authorised entity;
- (b) Where an approved applicant has—
 - (i) furnished incorrect or false information to the Central Government; or
 - (ii) failed to comply with the terms and conditions based on which approval for testing was granted; or
 - (iii) failed to ensure compliance by participants in the relevant regulatory sandbox:

Provided that no decision for suspension or revocation under this clause shall be made without the approved applicant has been given an opportunity of being heard; or

- (c) where, in the opinion of the Central Government, such suspension or revocation is necessary in the interest of national security or public interest; or
- (d) where an approved applicant is subject to adjudication proceedings under the provisions of Chapter VIII of the Act, who is held to be in breach or contravention of any rules pursuant to the adjudication proceedings.

10. No refund of fees.—There shall be no refund of fees or charges paid in respect of the approval to operate and manage a regulatory sandbox under these rules, if such approval is suspended, curtailed, revoked or varied.

11. Power to issue orders, directions or guidelines.—The Central Government may for the purposes of giving effect to these rules issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules.

12. Digital implementation.—The Central Government may in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for digital implementation of these rules, including for providing any form, manner, order, direction or guidelines to be specified under these rules.

[F. No. 24-11/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.